न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :—150/2020

उनवान

1. लाला पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी नान्दला

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

1. कमल कुमार पुत्र भंवरलाल जाति कलाल निवासी दूधिया मौहल्ला नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद
3. शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया भवानीखेडा

—— प्रतिवादीगण :—

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 53, 188 व 92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 25.2.21

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खाता संख्या 916/791 खसरा नम्बर 457, 460 रकबा 0.36, 0.54 ग्राम नान्दला में वादी की क्रयशुदा भूमि है। जिसमें वादी का 6/7 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि पर संयुक्त कब्जे काश्त है तथा प्रतिवादी का 1/7 हिस्सा निहित है। वाग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा का आज दिनांक तक बंटवारा नहीं हुआ है। अतः वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार किया जाकर वादी को खातेदार घाषित किये जाने हेतु निवेदन किया। व वादग्रस्त आराजियात का अन्यत्र बय,बेचान, रहन या अन्य तरीके से हस्तांतरण नहीं करे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं [illegible] एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 2 ने जाहिर किया कि वादी [illegible] स्वयं सिद्ध करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:57:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रकरण मे वाद के समर्थन में वाद का खण्डन नही होने से तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2070–73 दस्तावेजात प्रस्तुत किये।

वकील वादी ने साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया।

वादी द्वारा ग्राम नान्दला के खाता संख्या 916/791 खसरा नम्बर 457, 460 रकबा 0.36, 0.54 हैक्टर की वर्तमान जमाबन्दी पेश की है वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वादग्रस्त आराजी कमल कुमार पुत्र भंवरलाल, लाला पुत्र रामकरण वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में अविभाजित है। वादग्रस्त आराजी के विभाजन से उभयपक्ष के हितो पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगणों ने वाद में किसी प्रकार का कोई खण्डन नही किया है। प्रतिवादीगण कोई आपत्ति हो तो विभाजन प्रस्ताव के समय पेश कर सकते है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में रहन दर्ज है। किन्तु विभाजन के बाद भी उक्त आराजी उनके नाम ही रहन दर्ज होगी इस कारण प्रकरण में उनके हित प्रभावित नहीं होते है। आराजी मुतनाजा का विभाजन भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर किया जाना ही न्यायोचित है।

अतः ग्राम नान्दला के खाता संख्या 916/791 खसरा नम्बर 457, 460 रकबा 0.36, 0.54 हैक्टर की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति मे तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.3.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:57:48 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमे इबारत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

लाला बनाम कमला कुमार

दावा बाबत – 53,188, 92ए रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 150/2020
पेश करने की दिनांक – 22.12.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर ए एस)–व हाजिर अभिभाषक नितेश यादव मुदई मिनजानिब मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि –

ग्राम नान्दला के खाता संख्या 916/791 खसरा नम्बर 457, 460 रकबा 0.36, 0.54 हैक्टर की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति मे तैयार कर इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद व शरह तक ——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बदस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 03 सन **2021** को जारी की गयी।

मुदई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय/हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:57:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद